न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2020/00015(03/2020) दर्ज तिथिः—03.02.2020

1. खेता वल्द डूंगरा
जाति जाट निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाडमेर।

........................वादी

बनाम

1. पुरखा वल्द काना
2. हीरा वल्द काना
3. पूनमा वल्द काना
जाति जाट निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

......................असल प्रतिवादी

4. तहसीलदार नोखड़ा।

..............तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री डालुराम चौधरी
प्रतिवादीगणः— श्री रोशनलाल

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—10.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 242/0.0162 है0, 243/37.2796 है0 मौजा मंगनोणी गोदारों की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित [illegible] इसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ [illegible] वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:53:08 IST
Reason: SelfAttested

के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल प्रतिवादीगण द्वारा असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर जवाबदावा प्रस्तुत कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन पर सहमति प्रदान करने पर दिनांक 04.07.2024 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू–धारक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2024 / 92 दिनांक 17.02.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव / कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2025 / 92 दिनांक 17.02.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 22.01.2025 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी / गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 732–735 दिनांक 13.01.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 22.01.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 732–735 दिनांक 13.01.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 22.01.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात जमाबंदी संवत 2074–2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अव[illegible]या गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी [illegible] 242 / [illegible]162 है0, 243 / 37.2796 है0 मौजा मंगनोणी गोदारों की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:53:08 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण के बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह– काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 242 ⁄ 0.0162 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:53:08 IST
Reason: SelfAttested

243/37.2796 है0 मौजा मंगनोणी गोदारों की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
पुरखाराम पुत्र कानाराम हि0 1/3 पूनमाराम पुत्र कानाराम हि0 1/3 हीराराम पुत्र कानाराम हि0 1/3 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन—पुरखाराम का हिस्सा खसरा संख्या 243 एक्सिस बैंक शाखा नादिया	मंगनोणी गोदारों की ढाणी	242 243 243	0.0162 2.4281 16.0296	गै0मु0 ढाणी बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 03 रकबा 18.4739 है0				
खेताराम पुत्र डूंगराराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	मंगनोणी गोदारों की ढाणी	243 243	12.3672 6.1067	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 18.4739 है0				
खेताराम पुत्र डूंगराराम हि0 1/2 पूनमाराम पुत्र कानाराम हि0 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार	मंगनोणी गोदारों की ढाणी	243	0.3480	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.3480 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:53:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2020/00015(03/2020) दर्ज तिथिः–03.02.2020

1. खेता वल्द डूंगरा
   जाति जाट निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाडमेर।

........................वादी

बनाम

1. पुरखा वल्द काना
2. हीरा वल्द काना
3. पूनमा वल्द काना
   जाति जाट निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.......................असल प्रतिवादी

4. तहसीलदार नोखड़ा।

...............तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री डालुराम चौधरी
प्रतिवादीगणः– श्री रोशनलाल

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 242/0.0162 है0, 243/37.2796 है0 मौजा मंगनोणी गोदारों की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
पुरखाराम पुत्र कानाराम हि0 1/3	[illegible]	242	0.0162	गै0मु0 ढाणी
पूनमाराम पुत्र कानाराम हि0 1/3	[illegible]	243	2.4281	बा0सो0
हीराराम पुत्र कानाराम हि0 1/3	[illegible]	243	16.0296	बा0सो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:53:08 IST
Reason: SelfAttested

जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन–पुरखाराम का हिस्सा खसरा संख्या 243 एक्सिस बैंक शाखा नादिया				
कुल किता 03 रकबा 18.4739 है0				
खेताराम पुत्र डूंगराराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	मंगनोणी गोदारों की ढाणी	243 243	12.3672 6.1067	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 18.4739 है0				
खेताराम पुत्र डूंगराराम हि0 1/2 पूनमाराम पुत्र कानाराम हि0 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार	मंगनोणी गोदारों की ढाणी	243	0.3480	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.3480 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:53:08 IST
Reason: SelfAttested